न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :— श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 81/2024
जीसीएमएस नं. :— 2024/246

वादी :—
थानाराम पुत्र भीखाराम जाति जटिया निवासी ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री पृथ्वीराज चौहान वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :— 09.07.2024

"आदेश"

दिनांक : 05.03.2025

वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षैत्र खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 908/3 रकबा 0.8980 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। उक्त खसरे की कृषि भूमि को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम थानाराम पुत्र लाबूराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम थाना राम पुत्र भीखा राम है। वादी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवारकार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड में वादी व वादी के पिता का सही नाम थाना राम पुत्र भीखा राम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम थानाराम पुत्र लाबूराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 25.06.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर थाना राम पुत्र मीखा राम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :— वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरानम्बर 908/3 रकबा 0.8980 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर थानाराम पुत्र भीखाराम घोषित किया जावें।

हमने वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 908/3 रकबा 0.8980 हैक्टयर में थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान थानाराम पुत्र भीखाराम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना सम्बन्ध में ग्राम कोसाणा के मजमेआम में पूछताछ करने पर लोगो ने बताया थानाराम पुत्र लाबुराम व थानाराम पुत्र भीखाराम एक ही व्यक्ति है, वादी के अन्य दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि में थानाराम पुत्र भीखाराम हैं। अतः थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर थानाराम पुत्र भीखाराम रेकर्ड दुरूस्ती की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 908/3 रकबा 0.8980 हैक्टयर में थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान थानाराम पुत्र भीखाराम किये जाने का निवेदन किया हैं। खसरा नम्बर 908/3 में थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर थानाराम पुत्र भीखाराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 908/3 रकबा 0.8980 हैक्टयर में थानाराम पुत्र लाबूराम के स्थान थानाराम पुत्र भीखाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर